भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5205

24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

5205. श्री सौमित्र खानः

विषय: पीएमआरकेवीवाई के अंतर्गत वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, विशेषकर बांकुरा में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवीवाई) के वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) घटक के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यकलापों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में आरएडी के लिए आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल में आरएडी के अंतर्गत कितने किसानों और गांवों को शामिल किया गया है और एकीकृत कृषि प्रणालियों, जल संरक्षण परियोजनाओं और शुरू की गई मृदा प्रबंधन कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादकता, आय के स्तर और जलवायु सुनम्यता में सुधार लाने में आरएडी के प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) क्या पश्चिमी बंगाल से आरएडी के अंतर्गत विस्तार अथवा नई परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव वर्तमान में लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में वर्ष 2014-15 से वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है। यह योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए देश में एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत, फसलों/फसल प्रणाली को बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी, कृषि-वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाता है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विगत पांच वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित 7638 लाख रुपये के फंड में से 6802 लाख रुपये राज्य सरकार को जारी किए गए हैं, जिनमें से 6566 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है। राज्य के 18 जिलों के 563 गांवों में 30072 हेक्टेयर क्षेत्र में एकीकृत कृषि प्रणाली लागू की गई है, जिससे 72145 किसानों को लाभ हुआ है। जिलावार आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

आरएडी के तहत जारी और उपयोग किए गए केंद्रीय हिस्से का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	**आरएडी के अंतर्गत केंद्रीय निधि के हिस्से का विवरण (रुपये लाख में)**		
	आवंटन	**जारी की गई**	**उपयोग की गई**
2021-22	700	350	350
2022-23	800	688	679
2023-24	1048	1048	1048
2024-25	1100	1125	1061
2025-26*	3990	3591	3428
कुल	**7638**	**6802**	**6566**
*दिनांक 19.03.2026 तक			

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार, बांकुरा जिले में पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यक्रम के तहत की गई गतिविधियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

गतिविधि (इकाई)	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26***
एकीकृत कृषि प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	508	930.08	816	701	1497.54
मात्स्यिकी (संख्या)	535	1134	769	864	2544
वर्मीकम्पोस्ट (संख्या)	09	10	01	864	2544
*दिनांक 19.03.2026 तक					

(घ) एवं (ङ): नीति आयोग द्वारा वर्ष 2025 में आरएडी कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि आरएडी प्रयासों को जब समूहबद्ध करके और क्षेत्र के अनुरूप लागू किया गया, तो वे संवेदनशील कृषि-जलवायु क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने में प्रभावी सिद्ध हुए और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनुकूलन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 61.27% लाभार्थियों ने मृदा-नमी संरक्षण, विविध फसल प्रणालियों या भूदृश्य-आधारित विकास दृष्टिकोणों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन बढ़ाने के संदर्भ में इसके प्रभाव को काफी सकारात्मक बताया। यह योजना मांग-आधारित है और राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करते हैं।
